प्र0 शाखा 1544
11/02/2025

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

संoसंo–10 / नoप्रoनिo(नoप्रo)–09 / 2024 308 न0वि0 एवं आ0वि0, पटना दिनांक– 11.02.2025

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के संकल्प संo–2401 दिनांक–18.07.2007 एवं यथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2024 के प्रावधानानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद आई0ए0एस0, भवन, पटना द्वारा विज्ञापन संo–UD&H/CTM-2020/01 एवं UD&H/CTM-2020/02 दिनांक–24.04.2020 के अंर्तगत आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पत्रांक–1599 / 2024, दिनांक–08.10.2024 द्वारा 160 अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी जिनमें 11 अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया। शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन के उपरांत निम्नलिखित 11 योग्य अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय 55000 (पचपन हजार रूपये) मात्र प्रति माह पर नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर कतिपय शर्तों के अधीन नियोजित किया जाता है:–

क्रo संo	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	गृह जिला	रौल नंo	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि
1	सुश्री सोनी कुमारी	श्री सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	छपरा कॉलोनी, न्यू जक्कनपुर, पटना–800001 मोo नंo–6205583492 ई–मेल–soni.kasyap1@gmail.com	पटना सदर	2020003694	अनारक्षित	6/2/1997
2	श्री उमाकांत कुमार	श्री रामाकांत शर्मा	बी0–11, सचिवालय कॉलोनी, कंकड़बाग बिहार–800020 मोo नंo–7368873539 ई–मेल– jyotsanapallavi@gmail.com	पटना	2020000738	आर्थिक रूप से कमजोर	5/2/1988
3	श्री मोहित कुमार दुबे	श्री प्रदीप कुमार दुबे	डी0आर0एल0 रेलवे कॉलोनी क्वाटर नंo–67 कैनाल रोड, शक्ति नगर डेहरीऑनसोन बिहार–821305 मोo नंo–7903392516 ई–मेल–dubeymohit18@gmail.com	रोहतास	2020000974	आर्थिक रूप से कमजोर	16/06/1990
4	श्री जितेन्द्र कुमार	श्री जंगी सिंह	ग्राम–बभनटोली, पो0–बभनटोली, थाना–गोरौल बिहार–844114 मोo नंo–9801419646 ई–मेल–jspatelk@gmail.com	वैशाली	2020004378	पिछड़ा वर्ग	10/12/1989
5	श्री रोहित कुमार	श्री जय लाल रॉय	हाउस नंo–48, पूर्वी अशोक नगर रोडनं0–14 'B' कंकड़बाग बिहार–800020 मोo नंo–9835643545 ई–मेल–rohit3815@gmail.com	पटना	2020003591	पिछड़ा वर्ग	12/11/1984
6	श्री अभय कुमार	श्री शिवनाथ सिंह	ग्राम–परसौनिया, थाना+पो0– महुआ, मिर्जानगर बिहार–844139 मोo नंo–7979972388 ई–मेल–abhaykumarb25@gmail.com	वैशाली	2020002082	पिछड़ा वर्ग	11/2/1992

11/02/25

7	श्री चिरंजीव	श्री रामाज्ञया राय	हाउस नं0—165, गोला रोड, शांति अपार्टमेंट के पीछे, ज्ञाण ज्योति एकेडमी बिहार—801503 मो० नं०—9123125507 ई—मेल—chiranjeevraaj2019@gmail.com	पटना	2020002752	पिछड़ा वर्ग	5/2/1988
8	आसिफ रेजा	मो0 हबीबुर रहमान	पो0+थाना— रामपुर कोदर काठी, थाना—अररिया बिहार—854325 मो० नं०—9709886977 ई—मेल—asifrezajilani@gmail.com	अररिया	2020002297	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	2/6/1990
9	श्री शशि कुमार	श्री कन्हैया लाल प्रसाद	वार्ड नं0—08 लक्ष्मी सागर बड़ी टोला, बहुआरा बिहार—847212 मो० नं०—9123267779 ई—मेल—shashikumar847212@gmail.com	मधुबनी	2020001727	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	19/01/1983
	श्री रत्नेश कुमार	श्री नंदलाल महतो	ग्राम—मेहनौल खुर्द, पोस्ट—बेलसन्डी, थाना—मतीयरिया, बिहार—845455 मो०नं०—8210608038 ई—मेल—ratneshmahto@gmail.com	बेतिया	2020002908	अनुसूचित जनजाति	1/1/1985
11	सुश्री संजीता शरण	श्री संजय शरण	इक्सारा निकेतन मोहल्ला— धनेश्वर घाट, पोस्ट—बिहारशरीफ, बिहार—803101 मो०नं०—9304655826 ई—मेल—sanjeetasharan83@gmail.com	बिहारशरीफ	2020005511	पिछड़ा वर्ग (महिला)	25/4/1995

2. यह नियोजन अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ—पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्त्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यद्यपि की संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की आयु/शैक्षणिक योग्यता/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन उनके मूल प्रमाण—पत्रों से विभाग द्वारा करा लिया गया है तथा यदि भविष्य में उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड संस्था से सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इनकी सेवा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

4. अभ्यर्थियों के पदस्थापन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. सभी नगर प्रबंधक (संविदा) की नियोजन आदेश निर्गत होने की तिथि से दो सप्ताह तक विभाग में अचूक रूप से योगदान समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु कारण सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियोजन रद्द किये जाने पर विभाग स्वतंत्र होगा।

6. पूर्ववृत्त सत्यापन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त नगर प्रबंधक का अधिकतम एक वर्ष के लिए नियोजन होगा और कार्य संतोषप्रद होने तथा इनके कार्यालय प्रधान द्वारा कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन संतोषजनक प्राप्त होने के उपरांत ही इनकी अवधि प्रत्येक वर्ष विस्तार की जा सकेगी किन्तु इस बीच आयोग की अनुशंसा प्राप्त हो जाती है तथा इन पदो पर स्थायी नियुक्ति हो जाती है तो यह समय सीमा बाध्यकारी नही रहेगी और नियोजित नगर प्रबंधक का नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

12/02/25

7. यदि संविदा के अवधि की समाप्ति के पूर्व उनका अवधि विस्तार नहीं होता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा तथा इस हेतु अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

8. संविदा के आधार पर नियोजित नगर प्रबंधको को 55000/–रूपये प्रति माह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।

9. अभ्यर्थियों के वेतनादि का भुगतान उनके द्वारा विभाग में योगदान की तिथि से उनके पदस्थापन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

10. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नही माने जायेंगें और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नही होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद उनका सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा नियोजित नगर प्रबंधको के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक–2401, दिनांक–18.07.2007 एवं यथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 में निहित मार्गदर्शक सिद्धांत पूर्णतः लागू होगा।

11. अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेन/नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत होने की स्थिति में विरमन पत्र तथा अन्य सेवा से त्याग–पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति संबंधी पत्र एवं अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के सत्यापन से संबंधित लंबित अन्य वैसे पत्र जो अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन के समय उपलब्ध नहीं कराया गया था, को योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा उन्हें अपने पदस्थापन कार्यालय में सम्पत्ति का ब्योरा संबंधी प्रमाण–पत्र भी समर्पित करना आवश्यक होगा।

14. अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र प्राप्त करने पर योगदान हेतु आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

15. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (Contract Period) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दे कर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

16. अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

17. अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 में निहित परिशिष्ट–01 के प्रावधानानुसार विभाग के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

18. उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(राशिद इकबाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10/न0प्र0नि0 (न0प्र0)–09/2024 308 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक– 11.02.2025

प्रतिलिपिः महालेखाकार बिहार पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/02/25

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10/न0प्र0नि0 (न0प्र0)–09/2024 308 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक– 11.02.2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 प्रबंधक/सभी संबंधित नगर प्रबंधक (संविदा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/02/25

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10/न0प्र0नि0 (न0प्र0)–09/2024 308 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक– 11.02.2025

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/02/25

सरकार के अवर सचिव।